

<p><b><u>निदेशक मण्डल</u></b></p> <p><b><u>प्रबन्ध एवं गठन</u></b></p> <p>(1) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का साधारण अधीक्षण, निदेशन और कामकाज तथा कारबार का प्रबन्ध, निदेशक बोर्ड में निहित होगा जो ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा जो प्रादेशिक ग्रामीण बैंक द्वारा प्रयोग या निर्वहन किये जा सकते हैं।</p> <p>(2) अपने कृत्यों के निर्वहन में बोर्ड कारबार के सिद्धांतों पर कार्य करेगा और लोकहित का सम्यक् ध्यान रखेगा।</p> <p>निदेशक मण्डल का गठन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।</p> <p>निदेशक मण्डल में बैंक अध्यक्ष एवं निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे:</p> <p>(क) 02 भारत सरकार नामिति निदेशक (ख) 02 प्रायोजक बैंक नामिति निदेशक (ग) 02 राज्य सरकार नामिति निदेशक (घ) 01 रिजर्व बैंक(आरबीआई) नामिति निदेशक (ङ) 01 राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) नामिति निदेशक</p> <p>@ दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में हमारे बैंक के निदेशक मण्डल में भारत सरकार के एक नामिति निदेशक का स्थान रिक्त है।</p> <p><b><u>निदेशक मण्डल की बैठकें :</u></b></p> <p>वर्ष में निदेशक मण्डल की न्यूनतम छह बैठकें आयोजित की जानी हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में निदेशक मण्डल की दस बैठकें (पाँच विशेष बैठक सहित) आयोजित हुई।</p> <p>बैठकों की तिथियां एवं निदेशकगण की उपस्थिति निम्नानुसार है :</p>	<p><b><u>BOARD OF DIRECTORS</u></b></p> <p><b><u>Management and Composition</u></b></p> <p>(1) Subject to the provisions of Regional Rural Banks Act, 1976 the general superintendence, direction and management of the affairs and business of a Regional Rural Bank shall vest in a Board of directors who may exercise all the powers and discharge all the functions which may be exercised or discharged by the Regional Rural Bank.</p> <p>(2) In discharging its functions, the Board shall act on business principles and shall have due regard to public interest.</p> <p>The composition of Board of Directors is governed by the provisions of the Regional Rural Banks Act, 1976.</p> <p>The Board of directors shall consist of the Chairman of the Bank and the following other members:</p> <p>(a) Two Central Government nominee directors. (b) Two Sponsor Bank nominee directors. (c) Two State Government nominee directors. (d) One Reserve Bank (RBI) nominee director. (e) One National Bank (NABARD) nominee director.</p> <p>@ Place for One Central Government Nominee Director is lying vacant in our Bank's Board as on 31.03.2025.</p> <p><b><u>Meetings of Board :</u></b></p> <p>At least six Board meetings is to be held in a year. During the Financial Year 2024-25, Ten Board Meetings (Including Five Special Meetings) were held.</p> <p>The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under :</p>
--	--

आयोजित बैठकों की संख्या : 10 (05 विशेष बैठक सहित)			<b>No. of Meetings held : 10</b> (including 05 Special Meetings)		
<b>नियमित बोर्ड बैठकें</b>		<b>विशेष बोर्ड बैठकें</b>	<b>Regular Board Meetings</b>	<b>Special Board Meetings</b>	
13.06.2024, 10.09.2024, 19.10.2024, 16.12.2024 एवं 10.03.2025		09.05.2024, 15.07.2024, 09.08.2024, 06.01.2025 एवं 18.01.2025	13.06.2024, 10.09.2024, 19.10.2024, 16.12.2024 & 10.03.2025	09.05.2024, 15.07.2024, 09.08.2024, 06.01.2025 & 18.01.2025	
<b>निदेशक का नाम</b>	<b>उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या</b>	<b>बैठक में भाग लेने की संख्या</b>	<b>Name of the Director</b>	<b>No. of Meetings held during the tenure</b>	<b>No. of Meetings Attended</b>
श्री दविन्दर पाल ग्रोवर	10	10	Shri Devinder Pal Grover	10	10
श्री अमित गुप्ता	10	10	Shri Amit Gupta	10	10
श्री राजीव दायमा (*)	01	01	Shri Rajeev Daima (*)	01	01
श्री एन0एल0 साहू (#)	09	08	Shri N.L. Sahoo (#)	09	08
श्री सुधांशु कुमार सिंह	10	09	Shri Sudhanshu Kumar Singh	10	09
श्री समीर रंजन पंडा	10	09	Shri Samira Ranjan Panda	10	09
श्री शिव शंकर	10	09	Shri Shiv Shanker	10	09
श्री आलोक मौर्य (#)	08	08	Shri Alok Mourya(#)\	08	08
श्री अविनाश सहाय श्रीवास्तव	10	10	Shri Avinash Sahai Srivastava	10	10
* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई। # वर्ष के दौरान निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।			* ceased as directors during the year # appointed as directors during the year		